


भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-60/2020-2021

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
05.08.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 03.09.2020 को रखें। अभिलेख 03.09.2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
03.09.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी का स्थानांतरण एवं नए पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को न्यायालय कार्य के निष्पादन करने की शक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि 10.11.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 10.11.2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
10.11.2020	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक-238, दिनांक-26.08.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक सलन होरो, पिता-स्व0 फानुएल होरो, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम-उन्धन, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के प्रतिवेदानुसार आवेदित भूमि मौजा-उन्धन, थाना नं०-91, थाना-मनोहरपुर, खाता नं०-84, खेसरा नं०-339, 346, रकवा क्रमशः-01 डि० 850 वर्गकड़ी, 0.02 ए०, कुल रकवा-03 डि० 850 वर्गकड़ी भूमि क्रेता उमेश हेम्रम, पिता-स्व0 विन्जा हेम्रम, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम-महुलडीहा, थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक सलन होरो, पिता-स्व0 फानुएल होरो, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम-उन्धन, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना-मनोहरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति मुण्डा (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यों में बिक्री हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को मनोहरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 4.66.150 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता सलन होरो, पिता-स्व0 फानुएल होरो, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम-उन्धन, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शुल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। </p>	